न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 15/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 11.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. साहब लाल
2. रमेश
3. प्रमोद
4. सुरेन्द्र पिसरान रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम खेडिया मान तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
5. मोडी बाई विधवा रामकरण जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडिया मान तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडिया दुर्जन जर्ये प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडिया दुर्जन, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0, बून्दी
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : रमेश कुमार जैन –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 21.06.2024

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर बून्दी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडिया दुर्जन को खेल मैदान हेतु ग्राम खेडिया दुर्जन की भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 1.99 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 1.00 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 340 रकबा 7.10 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 खड्डा में से 1.00 हेक्टेयर किता–2 कुल रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शानुसार) शिक्षा विभाग को आदेश संख्या 70 दिनांक 15.12.2020 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विषयक भूमि पर अपीलांट्स एव उनके पिता/पति गत 40 वर्षों से निरंतर काबिज काश्त है तथा भूमि उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व परिवार का जीवनयापन करते है। अपीलांटस व उसके पिता/पति ने उक्त भूमि अपने पक्ष में नियमन एवं आवंटन करवाने के अधिकार रखते थे तथा उक्त भूमि को अपने पक्ष मे नियमन एवं आवंटन हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर रखा है, इस बिन्दु पर गौर किये बिना जेरअपील आवंटन आदेश जारी करने में भूल की है। जबकि अनओक्यूपाईड भूमि ही आवंटन योग्य है, ऐसा प्रावधान रूल्स 1963 में अंकित हैं। उक्त भूमि के पास ही 40 बीघा खाली सिवायचक भूमि जो बंजड़ है, काश्त योग्य नहीं है, प्रथम उक्त भूमि को रेस्पो0 को आवंटन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रीडर (पेशकार)

किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पास की भूमि रेस्पो0 के आवंटन नहीं कर उक्त भूमि जो विद्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, का रेस्पो0 के पक्ष मे आवंटन कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की हैं। आवंटित भूमि कृषि योग्य है तथा बिना मौके की रिपोर्ट लिये भूमि आवंटन की गई है, जो आवंटन निरस्त योग्य हैं। उक्त आवंटन की अपील्ाटस को जानकारी नहीं थी, दिनांक 02.08.2021 को जानकारी होने पर आवंटन आदेश की नकल दिनांक 06.08.2021 को प्राप्त होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील अन्दर मियाद मानते हुए जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

2 अपील पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस् के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त हैं। मौके पर अपीलांटस काश्त करते हैं तथा अपना व परिवार का जीवनयापन करते है। जिला कलक्टर, बून्दी ने वादग्रस्त भूमि मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना अधिग्रहित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपीलांट के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा में अपील मियाद बाहर होने तथा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

5 हमने जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा जेर अपील आदेश संख्या 70 दिनांक 15.12.2020 राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडिया दुर्जन को खेल मैदान हेतु ग्राम खेडिया दुर्जन की भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 1.99 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 1.00 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 340 रकबा 7.10 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 खड्डा में से 1.00 हेक्टेयर किता–2 कुल रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शानुसार) शिक्षा विभाग को आवंटित किये जाने से व्यथित होकर धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की गई। धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस उभय पक्षकार सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस् के कब्जे काश्त की भूमि होने से वह नियमन/आवंटन का पात्र होने के बावजूद जिला कलक्टर बून्दी ने उनको आवंटन/नियमन नहीं कर जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए अपील मियाद बाहर पेश की गई है तथा आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडिया दुर्जन को खेल मैदान हेतु ग्राम खेडिया दुर्जन की भूमि खसरा संख्या 338 रकबा 1.99 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 में से 1.00 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 340 रकबा 7.10 हेक्टेयर किस्म गै0मु0 खड्डा में से 1.00 हेक्टेयर किता–2 कुल रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि (पृष्ठांकित नक्शानुसार) शिक्षा विभाग को आवंटित की गई हैं। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है, जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण योग्य होने से राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज योग्य हैं। मियाद के बिन्दु पर रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करने से अपील मियाद मध्य मानते हुए उभय पक्षकारान के तर्क उपरांत आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा जेरअपील आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अधीन पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबंध में अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये हैं। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की है, जो उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पोषणीय नहीं हैं। राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रथम अनुसूची (धारा 23) ''न्यायिक मामलों की सूची'' के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नहीं हैं। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता हैं। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रीडर/पेशकार